# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

[illegible] संख्या 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015 14/2015, 15/12015, 16/2015 जिला उदयपुर

उनवान– 1. मानवी एग्रो प्रा0लि0 उदयपुर बनाम सीटीओ ए0ई0, उदयपुर।
2. सीटीओ ए0ई0, उदयपुर बनाम मानवी एग्रो प्रा0लि0 उदयपुर ।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व त… अहकाम ज… हुक्म की त… में जारी |
|---|---|---|
| 08.04.2015 | **खण्डपीठ**<br>**श्री मदन लाल – सदस्य**<br>**श्री मनोहर पुरी – सदस्य**<br><br>विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।<br><br>वाणिज्यिक कर अधिकारी ए0ई0 उदयपुर द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी एमेनेस्टी स्कीम वर्ष 2015 अधिसूचना संख्या एफ/12(16) एफडी/कर/2009–188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते है।<br><br>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा प्रकरणो को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।<br><br>फलस्वरूप वाणिज्यिक कर अधिकारी ए0ई0 उदयपुर द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत प्रकरणो को विदड्रा करने की अनुमति दी जाती है। अतः वाणिज्यिक कर अधिकारी ए0ई0 उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015, 14/2015, 15/12015, 16/2015 उदयपुर जरिये विदड्राल (Withdrawal) खारिज की जाती है।<br><br>आदेश सुनाया गया।<br><br>(मनोहर पुरी)<br>सदस्य<br><br>(मदन लाल)<br>सदस्य | |